राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702
सी.आई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sri Ganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone:01498-61202,
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा./जैत/10–41/कृषि/2025–26/ दिनांक 06.01.2026

ई–निविदा सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राजस्थान) के खण्ड़–1, 2 व 3 के विभिन्न चकों में स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ो की एकत्रित की गई ईमारती शीशम 4726.85 क्विंटल ईमारती किकर 2666.98 क्विंटल, जलाउ लकड़ी (सभी प्रकार) 22000.00 क्विंटल की बिक्री वर्ष–2025–26 में करने हतु दिनांक 15.01.2026 को दोपहर 3.00 बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। अन्य नियम शर्ते निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर देखी जा सकती है, जिस पर ई–निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है। आगे कोई भी सूचना एवं शुद्धिपत्र होगा तो, वेबसाईट www.indiaseeds.com तथा ई–पोर्टल https://indiaseeds.enivida.com पर ही डाला जायेगा।

फार्म प्रमुख
के.रा.फार्म, जैतसर

Particulars	Details
Date of issue of NIT	06.01.2026
Date and time for submission of online bid	From 07.01.2026 11:30 AM To 15.01.2026 03.00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode	15.01.2026 on 3:30 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/ NEFT)	Rs. 590.00 (Rs. 500+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 20000.00 per lot.
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Jetsar (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Incharge (Prodn.) Phone No.- 01498-261261, Email : csf.jetsar@indiaseeds.com

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on https://indiaseeds.enivida.com by paying the charges of Rs. 2360/- (Inclusive taxes) per year.

II. Bidders must provide the details of PAN number, registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com

III. Bidders must have a valid email id and mobile number.

IV. Bidders are required to obtain Class 3 Digital Certificates (Signing & Encryption) as per their company details.

V. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However bidder can update the digital certificate to another user id after unmapping it from the exiting user id.

VI. Bidders now can login with the activated user Id & DSC for online tender submission process in this portal.

VII. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.

VIII. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.

IX. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit / Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e- tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tenderdocument.

X. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.

XI. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bidsheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.

XII. Bidders must pay required payments (Tenderfee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.

XIII. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.

XIV. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1 week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible

for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

XV. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.

XVI. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.

XVII. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.

XVIII. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.

XIX. The time displayed in the server is IST(GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.

XX. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption techniques to ensure security/secrecy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Thank You

Technical Support - **Phone: 9355030617, 8448288980**
Tel: 011-49606060
Email ID - enividahelpdesk@gmail.com, enivida2021@gmail.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702
सी.आाई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sri Ganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone:01498-61202,
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा./जैत/10–41/कृषि/2025–26/ दिनांक 06.01.2026

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Name of E-tender	
Father name of the E-tenderer	
Full adderss of the E-tenderer	
Mobile number of the E-tenderer	
Copy of GST Registration	
Copy of pan card	
Copy of ID Proof i.e. Aadhar Card / Driving License etc.	
Copy of Firm Letter head	
Copy of Bank passbook	
EMD Details (UTR/Reference no., date and amount) 20000/-	
Tender Form Fee Details (UTR /Reference no., date and amount) 590/-	
Signed copy of term & condition.	

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिलाः श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702
सी.आाई.एनः यू74899डीएल1963जीओआई003913
(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)
CENTRAL STATE FARM, JETSAR
Dist. Sri Ganganagar, Rajasthan-335702
CIN:U74899DL1963GOI 003913
(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone:01498-61202,
वेबसाईट/Website: www.indiaseeds.com ईमेल/E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com

पत्रांकः के.रा.फा./जैत/10–41/कृषि/2025–26/ दिनांक 06.01.2026

फार्म में एकत्रित लकड़ी बेचने के लिए ई–निविदा हेतु नियम व शर्तें

1. **ई–निविदा** में भाग लेने से पूर्व **ई–निविदादाता** द्वारा **स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित **की** गई **जलाउ/इमारती** लकड़ी की गुणवत्ता, संख्या/मात्रा तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया जावे। **स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा।
2. यदि भिन्न भिन्न स्थानों पर एकत्रित की गई लकड़ी को एक **लॉट में लिया गया है तो इस स्थिति में पहले एक स्थान से सम्पूर्ण लकड़ी को उठाने के पश्चात् ही दुसरे स्थान से लकड़ी को उठानी होगी।**
3. विक्रय किए जाने वाले **स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी की बिक्री हेतु **दिये गये लॉट की मात्रा** घट अथवा **बढ़ सकती है।**
4. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, डाइविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। यदि **ई–निविदादाता की** कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज़ साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि **ई–निविदादाता** कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे **ई–निविदा** में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति, व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा **उपरोक्त** वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। **ई–निविदादाता** द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर ई–निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण यदि कोई पत्र/सूचना **ई–निविदादाता** के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
5. फार्म प्राधिकारी को बिना **किसी** पूर्व सूचना या नोटिस दिये, **ई–निविदा** को अस्वीकृत अथवा निरस्त **करने का** पूर्ण अधिकार होगा। इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा।
6. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय/फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि **की** देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से **ई–निविदा** के कार्य के अयोग्य हो, **तो** ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था **ई–निविदा** में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वत: जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 38 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी।
7. प्रत्येक **ई–निविदादाता** को **ई–निविदा** में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि **(**ईएमडी**)** फार्म के अकाउंट **न0 41532435884, शाखा– स्टेट बैंक आफ इंडिया**(SBI), **बाजूवाला, आईएफसी कोड** SBIN0008251 में **RTGS/NEFT/online के** माध्यम से जमा करनी होगी। प्रत्येक लाट हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि जमा करनी होगी।
   a. प्रत्येक लाट हेतु धरोहर राशि : रु **20,000 /-**
8. यदि धरोहर राशि निश्चित राशी से कम जमा कराया जाता है तो उस ई–निविदा को निरस्त **कर दिया जायेगा।** असफल **ई–निविदादाता की** धरोहर राशि **को ई–निविदा**दाता के **लिखित आग्रह पर बिना किसी ब्याज के** बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से वापस **कर दिया जायेगा।**
9. **ई–निविदा**दाता को ई–निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापस लेने या दरों मे संशोधन करने का अधिकार नही होगा।
10. **ई–निविदा**दाता द्वारा दी गई सशर्त ई–निविदा मान्य नहीं होगी। ई–निविदा खोलने के बाद ई–निविदा **के संबंध में** फैक्स व पत्र/ ईमेल / अनुशंषा / अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा।
11. सफल **ई–निविदा**दाता को ई–निविदा राशि का 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 3 दिवस मे जमा करनी होगी।
12. सफल **ई–निविदा**दाता को ई–निविदा समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धन राशि उसी समय अथवा अधिकतम 3 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी

होगी। बकाया राशि/ राशियों को जमा करने में विलम्भ होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति ले कर जमा करनी होगी।

13. प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25% राशि जमा करने हेतु सामान्यतय कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। यदि शेष संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा में भी जमा नहीं की जाती है तो उस दशा मे क्रेता द्वारा जमा की गई राशि से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जायेगी। इस स्थिति में ठेका स्वत: रद्द हो जायेगा। जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा। इस स्थिति मे संबंधित लाट/लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।

14. क्रेता द्वारा **उपरोक्त निर्धारित** की **गई** सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

15. **स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी की बिक्री हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 60 दिवस समय सीमा के भीतर फार्म से ले जाना होगा। ज्यों ही **स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी की बिक्री का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का **सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। **सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी **की** ढुलाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 60 दिवस के उपरान्त निम्न लिखित दर से भूमि कर (Ground Rent) चुका कर शेष पेड़/लकड़ी उठाने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:

   i. **प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस :- रु॰2/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने-ले जाने हेतु ।**

   ii. **द्वितीय अतिरिक्त 30 दिवस :- रु॰5/- प्रति कुंतल प्रति दिवस लकड़ी उठाने-ले जाने हेतु ।**

16. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्ष/लकड़ी लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा मे शर्त संख्या 36 के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष/लकड़ी लॉट को **पुर्ण रूप** से उठाना होगा तथा चुन कर/छांट कर उठाने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा।

18. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की लकड़ी की उठाई करेगा। यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी द्वारा नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी अदा करना होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा। यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार ऐसा करते है तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुर्माना वसूल कर ठेका निरस्त कर दे तथा शर्त संख्या 29 एवं 36 के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है।

19. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय मे से शेष बचे वृक्षों/लकड़ी के एवज मे फार्म द्वारा आकलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है।

20. ठेका समाप्त होने पर सम्बंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष - अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल **ई–निविदा**दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा।

21. सफल **ई–निविदा**दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नही किया जायेगा। इसकि अवहेलना करने पर ठेका रद्द माना जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ शर्त संख्या 29 एवं 36 के अनुसार कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा।

22. विक्रय किए गए वृक्षों / लकड़ी को उठाने-लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जाऐंगे उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी। फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दे तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे।

23. **स्वतः गिरे सुखे अथवा मृत पेड़ों** की एकत्रित लकड़ी की बिक्री लॉट में वज़न/तौल के आधार पर होगी।

24 ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिए परिवहन आदि का प्रबन्ध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा।

25 **ई–निविदा**दाता को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अंन्तर्गत बनायी गई सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम /नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो **ई–निविदा**दाता उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने ख़र्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में **ई–निविदा**दाता स्वयं जिम्मेदार होगा। **ई–निविदा**दाता /क्रेता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड (इंडेमनिटी बाण्ड) इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी

अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के उन देखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में **ई–निविदा**दाता के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्चे **ई–निविदा**दाता को वहन करने होंगे।

26 यदि कोई व्यक्ति **ई–निविदा**दाता की जानकारी के बिना वृक्ष/लकडी/**लॉट में से लकड़ी ले जाते** हुए पाया गया तो खरीददार उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा।

27 वृक्षों व लकडी की **ई–निविदा** " जैसा है, जो है, जहाँ है " के आधार पर की जाएगी | **ई–निविदा** के बाद बिक्री किए गये पेड़ों व लकड़ी को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिये फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। **ई–निविदा** स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे आग लगना, आँधी-तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक-कीड़ों, चोरी आदि **(**प्राकृतिक/अप्राकृतिक**)** से कोई हानि **ई–निविदा**दाता को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। **ई–निविदा**दाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा।

28 **ई–निविदा**दाता या उसके कार्यकर्ता द्वारा फार्म मे अन्यत्र असम्बंधित गतिविधियॉ , कार्यकलापों मे रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमे परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा । ऐसी गतिविधियों मे संलिप्त पाये जाने , अथवा यदि फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से **ई–निविदा**दाता जिम्मेदार होगा। इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना/ कार्यवाही **ई–निविदा**दाता पर बाध्यकारी होगी। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान **ई–निविदा**दाता/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म मे प्रवेश निषिद्द किया जा सकता है तथा इस दशा मे उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेंगी।

29 यदि **ई–निविदा**दाता का आचरण उचित न हो या फार्म के हित मे न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब एसी दशा मे फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा की ठेके की शर्त सं 36 के अनुसार निरस्त/रद्द कर **ई–निविदा**दाता को निश्चित अवधी के लिए निगम के फार्मो /क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे। विवाद, झगड़ा या मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता/**ई–निविदा**दाता पर बाध्यकारी होगा।

30 **ई–निविदा**दाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म मे किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरो को मारने , घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।

31 **ई–निविदा**दाता को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य /अन्य कार्यो पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह **ई–निविदा** के कार्यो को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे।

32 **इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों अथवा लकड़ी के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (T॰P॰) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ई–निविदादाता को** ई–निविदा **राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।**

33 **ई–निविदा** के उपरान्त **ई–निविदा**दाता/खरीददार को आवंटित लकड़ी की सुरक्षा, पैकिगं, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्चे पर करना होगा**I**

34 पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।

35 पेड़ों के पैकिगं, ढुलाई आदि समस्त कार्य से सड़क अवरूद्ध नहीं होनी चाहिये एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिये। पेड़ों के पैकिगं, ढुलाई अथवा सडक के रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए।

36 **ई–निविदा** के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की **ई–निविदा**दाता उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा की वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों/उठाई-ढुलाई की गई लकड़ी की फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्रावधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म मे जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले।

37 सूखे वृक्षों/लकडी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा। साधारणत: यह अनुमति कार्य दिवस में प्रात 09.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक होगी। सूखे वृक्ष अथवा लकडी फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।

38 **ई–निविदा**दाता फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश् नही करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुचाने की कोशिश् नहीं करेगा। इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवम प्रतिभूति राशी जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

39 अनुबंध के लिए आपको रू॰ 500/- (पांच सौ) के स्टाम्प पेपर पर **ई–निविदा**दाता द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ो/लकड़ी का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तो पर करार (Agreement) तथा रू॰ 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 25 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। स्टाम्प पेपर का प्रबन्ध **ई–निविदा**दाता को स्वयं करना होगा। उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 7 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे।

40 सभी प्रकार की वैधानिक दैयता की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

41 **यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा मं आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा। (**In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.)

<u>घोषणा</u> :- मैंने फार्म में स्वतः गिरे सूखे पेड़ों की एकत्रित लकड़ी खरीदने हेतु **ई–निविदा** की शर्तें पढ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में किये है। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गयी हैं तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म, **जैतसर जिला– श्री गंगानगर (राजस्थान)** के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग/भाग मानी जायेंगी।

(**ई–निविदा**दाता के हस्ताक्षर)

दिनांक _______________

स्थान ________________

वित्तीय बिड् (Financial Bid)

ई–निविदा राशी प्रस्ताव (टेंडर ऑफर)

राष्ट्रीय बीज निगम के फार्म कार्यालय **जैतसर** के अधिकार में विभिन्न लॉट में **एकत्रित लकड़ी** खरीदने हेतु लॉट के अनुसार **ई–निविदा** मूल्य प्रस्ताव निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है:

S.N.	Lot No.	Location	Kind of Wood	Expected Quantity of Wood (Qtls.)	Offered Rate per Quintal exclusive of all taxes (Rs.)
1	B-(1)	Block-1 (Near Block Center)	Shisham Logwood	3114.60	
2	B-II (1)	Block-2 (Near the Old green house)	Kikar Logwood	1300.00	
3	B-II (2)	Block-2 (Near the Old green house)	Kikar Logwood	1366.98	
4	B-II (6)	Block-2 (Backside of godawn nearby workshop)	Firewood (All kind)	2000.00	
5	B-II (7)	Block-2 (Backside of godawn nearby workshop)	Firewood (All kind)	2000.00	
6	B-II (8)	Block-2 (Backside of godawn nearby workshop)	Firewood (All kind)	2000.00	
7	B-II (16)	Block-2 (Infront of gate of Block-2)	Firewood (All kind)	2000.00	
8	B-II (17)	Block-2 (Infront of gate of Block-2)	Firewood (All kind)	2000.00	
9	B-II (18)	Block-2 (Near the Old green house)	Firewood (All kind)	2000.00	
10	B-II (19)	Block-2 (Near the Old green house)	Firewood (All kind)	2000.00	
11	B-II (21)	Block-2 (Near the Old green house)	Firewood (All kind)	2000.00	
12	B-II (24)	Block-2 (Near the Old green house)	Firewood (All kind)	2000.00	
13	B-II (25)	Block-2 (Near the Old green house)	Firewood (All kind)	2000.00	
14	B-II (27)	Block-2 (Near the Old green house)	Firewood (All kind)	2000.00	
15	B-III (1)	Block-3 (Behind block office)	Shisham Logwood	1612.25	

सत्यापन एवं घोषणाः

यह सत्यापित किया जाता है कि:

1. **ई–निविदा** में भाग लेने से पूर्व **ई–निविदा**दाता ने **एकत्रित लकड़ी** की संख्या/मात्रा, गुणवत्ता तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भाँति जाँच परख लिया गया है तथा विवरण हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।
2. **ई–निविदा के अंतर्गत एकत्रित लकड़ी/वृक्षों के विक्रय से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष/ अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट)T॰P॰ (तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ ई–निविदादाता को ई–निविदा राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।**
3. यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त **ई–निविदा** की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली हैं। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य हैं।
4. **ई–निविदा** पूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों/अंकों में भरी होनी चाहिये, प्रत्येक त्रुटि सुधार पर पूरे हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। अपठनीय, अस्पष्ट अथवा अपूर्ण **ई–निविदा** पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. **ई–निविदा**, संलग्न प्रपत्रों तथा विक्रय शर्तों कि प्रतिलिपि के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण सहमति के साथ हस्ताक्षर कर संलग्न किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

(नाम________________________)

पूर्ण पता _____________